संख्याःपीसीएच–एचसी(10)1/2013(एफएफसी)– 47734-824
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

प्रेषक,

सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला–171 002

प्रेषितः

1.समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला–9 दिनांक 9 अगस्त, 2018

विषयः– 14वां वित्तायोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि के उपयोग हेतु संकलित दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

दिनांक 4 अगस्त, 2018 को सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज महोदय की जिला अधिकारियों के साथ विडियो कॉनफ्रेंसिंग के दौरान 14वें वित्तायोग के अन्तर्गत समय–समय पर जारी स्वीकार्य कार्यो की सूची के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न उठाये गए जिससे यह उजागर हुआ कि जिला तथा निचले स्तर पर विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में स्पष्टता नहीं है। अतः इस सदर्भ में पूर्व में जारी स्वीकार्य कार्यो की सूची को संकलित करके नई सूची तथा दिशा निर्देश जारी करने के आदेश हुए है, जिनकी अनुपालना में इस विभाग द्वारा समसंख्यक पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2015, 22 अप्रैल, 2016, तथा 4 अक्तूबर, 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को जारी कुल अनुदान राशि की 90 प्रतिशत राशि में से स्वीकार्य कार्यों तथा दिशा निर्देशों को संकलित तथा आंशिक संशोधन करके निम्न सूची जारी की जाती है:–

1. तरल एवं ठोस कचरा के निपटान एवं निकास के लिए व्यवस्था करना।
2. गंदे जल की निकासी के लिए नालियों का निर्माण तथा रख–रखाव।
3. पंचायत क्षेत्र में कूड़ा करकट के निपटान एवं साफ–सफाई की उचित व्यवस्था करना।
4. सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं तथा पुरूषों के लिए पृथक–पृथक शौचालयों का निर्माण एवं व्यवस्था करना।
5. ग्रामीण राजकीय स्कूलों में लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक–पृथक शौचालयों का निर्माण एवं व्यवस्था करना।

6. ग्रामीण क्षेत्र के मेलों, त्योहारों तथा सार्वजनिक समारोहों में अस्थाई शौचालयों की व्यवस्था करना।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में सेप्टेज एवं सीवेज प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य।
8. ग्रमीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था करना।
9. पारम्पारिक पेयजल स्त्रोतों का रख–रखाव एवं संरक्षण करना।
10. ग्रामीण राजकीय स्कूलों में पेयजल व्यवस्था करना।
11. ग्रामीण गलियों में स्ट्रीट लाईटों का उचित प्रबन्ध तथा रख–रखाव करना।
12. ग्रामीण सड़कों तथा फुटपाथों का निर्माण एव रख–रखाव।
13. सार्वजनिक पार्कों, मैदानों का निर्माण व रख–रखाव (**Fancing** सहित)
14. कब्रिस्तानों तथा शमशान स्थलों (मोक्ष धान) का निर्माण, अपवर्धन व रख–रखाव।
15. राजकीय स्कूलों में शौचालय तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में शिशु सुलभ शौचालयों का निर्माण व पेयजल की वर्णित मापदण्डों के अनुसार व्यवस्था करना तथा इन संस्थाओं में शौचालयों व पेयजल सम्बन्धी योजनाओं को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाना (यदि आवश्यक हो)
16. आंगनबाड़ी व स्कूलों में स्थापित वर्तमान शौचालयों व पेयजल सुविधा का जीर्णोद्धार अथवा मुरम्मत यदि आवश्यक हो।
17. आंगनवाड़ी व स्कूलों में शौचालयों व पेयजल सुविधाओं को सुनिश्चित करना।
18. पंचायत क्षेत्र में कूडादान स्थापित करना।
19. बांध, तालाब तथा चैक डैम का निर्माण।

भारत सरकार, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा 14वें वित्तायोग के अन्तर्गत सांझा स्वीकार्य कार्यो को सम्मिलन (**convergence**) के माध्यम से करने पर प्राथमिकता प्रदान की जाये। इसके साथ–साथ कार्यो की योजना तैयार करते समय विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 6 जनवरी, 2018 के तहत जारी आवंटित राशि की निर्धारित अनुपात का भी पालन किया जाए जिसे आपकी जानकारी हेतू पुनः दर्शाया जा रहा है।

20.

| क्र0सं0 | विकास क्षेत्र (सैक्टर) | कुल प्राप्त अनुदान में से व्यय की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| 1 | तरल एवं ठोस कचरा के निपटान एवं निकास | 25 प्रतिशत |
| 2 | गंदे जल निकासी कूड़ा–करकट के निपटान एवं साफ–सफाई की उचित व्यवस्था | |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | सेप्टेज एवं सीवेज प्रबन्धन | |
| 4 | पेयजल व्यवस्था | 15 प्रतिशत |
| 5 | स्ट्रीट लाईटों का उचित प्रबन्ध तथा रख–रखाव | 10 प्रतिशत |
| 6 | सड़कों तथा फुटपाथों का रख–रखाव व निर्माण | 30 प्रतिशत |
| 7 | कब्रिस्तानों तथा शमशान स्थलों (मोक्ष धाम) निर्माण, अपवर्धन व रख–रखाव। | |
| 8 | अन्त मूलभूत सुविधायें सार्वजनिक परिसम्मतियां जैसे सार्वजनिक पार्कों, बांध, तालाब, चैक डैम तथा खेल मैदान इत्यादि का निर्माण व रख–रखाव | 10 प्रतिशत |

शेष 10 प्रतिशत राशि का उपयोग इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 27 मई, 2016 तथा 6 नवम्बर, 2017 के अन्तर्गत जारी स्वीकार्य कार्यों तथा दिशा–निर्देशों अनुसार व्यय किया जाए ।

(केवल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हि0 प्र0 शिमला–171 009